



कमिश्नर वाराणसी



प्रेस नोट

दिनांक- 07-01-2026

“ऑपरेशन कनविकशन”

थाना- लोहता

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के क्रम में कमिश्नर वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या एवं लूट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा **02 अपचारीगण को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 18-18 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविकशन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नर वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना लोहता में पंजीकृत मु0अ0सं0 0001/2019 धारा 302, 201, 394, 411 भादवि में आज दिनांक 07.01.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय संख्या-02, वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर **02 अपचारीगण को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 18-18 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नर वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



श्री संतोष कुमार सिंह,
विशेष लोक अभियोजक,
पॉक्सो-02, वाराणसी।



निरीक्षक श्री राकेश
कुमार सिंह
विवेचक



का0 रविन्द्र सरोज,
पैरोकार थाना लोहता



म0का0 अंशु पाण्डेय,
कोर्ट मोहरीर